

अध्याय-I
राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर तथा गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों तथा पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े तालिका-1.1 में नीचे दर्शाये गए हैं:

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	26,603.90	30,225.16	31,139.89	35,717.02	36,624.67
	गैर-कर राजस्व	632.55	515.40	380.69	766.06	644.16
	कुल	27,236.45	30,740.56	31,520.58	36,483.08	37,268.83
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	सहायता अनुदान	2,348.14	4,258.29	2,825.16	2,184.19	5,843.77 ¹
3	रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	29,584.59	34,998.85	34,345.74	38,667.27	43,112.60
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	92	88	92	94	86

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट-1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1.1



¹ माल तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन में से उत्थित किए गए राजस्व की कमी के मुआवजे के लिए 2018-19 में प्राप्त किए गए ₹ 4,182 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 में, राजस्व की कमी के लिए प्राप्त किया गया मुआवजा केवल ₹ 157.00 करोड़ था।

वर्ष 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा उत्थित राजस्व (कर तथा गैर-कर) ₹ 37,268.83 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 86 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान प्राप्तियों का शेष 14 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

1.1.1.2 2014-15 से 2018-19 के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है:

तालिका-1.2: उत्थित किए गए कर राजस्व का विवरण

क्रम. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2015-16 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2016-17 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2018-19 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में वास्तविक वृद्धि (+) अथवा (-) की प्रतिशतता
1	राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	-	-	13,620.84 (38.14%)	19,186.57 (52.39%)	40.86
2	बिक्री कर	18,289.31 (68.75%)	20,245.82 (66.98%)	21,144.24 (67.90%)	11,149.17 (31.21%)	5,885.75 (16.07%)	-47.21
3	राज्य उत्पाद	3,422.39 (12.86%)	4,237.69 (14.02%)	4,251.40 (13.65%)	4,453.49 (12.47%)	5,028.19 (13.73%)	12.90
4	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	2,779.88 (10.45%)	3,433.60 (11.36%)	3,143.93 (10.10%)	4,117.07 (11.53%)	4,458.62 (12.17%)	8.30
5	वाहनों पर कर	1,558.83 (5.86%)	1,607.01 (5.32%)	1,808.78 (5.81%)	2,115.76 (5.92%)	2,054.75 (5.61%)	-2.88
6	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	491.70 (1.85%)	700.53 (2.32%)	789.53 (2.53%)	259.18 (0.73%)	10.68 (0.03%)	-95.88
7	भूमि राजस्व	61.79 (0.23%)	0.51 (0.002%)	2.01 (0.01%)	1.51 (0.004%)	0.11 (0.0003%)	-92.72
	कुल कर राजस्व	26,603.90	30,225.16	31,139.89	35,717.02	36,624.67	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1.2



रा.रा.क्षे. दिल्ली की वास्तविक कर प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 35,717.02 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,624.67 करोड़ तक ₹ 907.65 करोड़ (2.54 प्रतिशत) तक बढ़ गई। रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल वास्तविक कर प्राप्तियां बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रही थी जोकि 37.67 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में ₹ 26,603.90 करोड़ से 2018-19 में ₹ 36,624.67 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों का मुख्य अंशदान बिक्री कर/रा.मा.से.क. से था जोकि 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में 1.22 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक प्राप्तियां 'राज्य उत्पाद' एवं 'स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क' शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः 12.90 प्रतिशत तथा 8.30 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि 'वाहनों पर कर' तथा 'भूमि राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियां क्रमशः 2.88 प्रतिशत तथा 92.72 प्रतिशत तक घट गई। जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के पश्चात 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा ड्यूटी' शीर्ष के अन्तर्गत कर प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 259.18 करोड़ से 2018-19 में ₹ 10.68 करोड़ तक घट गई।

वर्ष के दौरान भिन्नताओं के लिए संबंधित विभागों ने निम्नलिखित कारणों को बताया:

एस.जी.एस.टी./बिक्री कर

विभाग ने बताया कि जी.एस.टी. की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 जुलाई 2017 से हुई थी। 01 जुलाई 2017 से वैट केवल पेट्रोलियम पदार्थों तथा शराब पर संग्रहित किया जा रहा है और अन्य सभी माल जी.एस.टी. के अन्तर्गत कवर किए जा रहे हैं।

राज्य उत्पाद

उत्पाद राजस्व प्रवर्तन शाखा तथा उत्पाद गुप्तचर विभाग (ई.आई.बी.) द्वारा किए गए सामूहिक प्रयत्नों के कारण बढ़ गए। ई.आई.बी. शाखा ने वर्ष 2018-19 के दौरान 3,65,391 बोतलें जब्त की तथा प्रत्येक बोतलों को आंबटित किए गए बार कोड्स की स्कैनिंग द्वारा शराब की 100 प्रतिशत बिक्री की गयी।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं ड्यूटी:

विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य शीर्ष 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क' के अंतर्गत कर राजस्व घट गया था क्योंकि दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग कर 01 जुलाई 2017 से रद्द कर दिया गया तथा जी.एस.टी. में शामिल कर दिया गया था।

भूमि राजस्व

भूमि तथा भवन विभाग भूमि राजस्व का नियमित संग्राहक नहीं है। अक्टूबर 2013 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित ₹ 2.48 करोड़ की वसूली का आदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश की अनुपालना में 2017-18 में ₹ 1.50 करोड़ की अंश राशि प्राप्त की गई। आगे, वर्ष 2018-19 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे निर्णय में केवल ₹ 10.00 लाख की राशि प्राप्त की गई।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दस्तावेजों के पंजीकरण की वृद्धि अनाधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण के आरम्भ किए जाने, कर वसूली के निरंतर अनुवीक्षण तथा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.) द्वारा ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी के भुगतान के कारण हुई।

वाहनों पर कर

राजस्व संग्रहण में कमी मुख्यतौर पर वाहनों के पंजीकरण में 2.11 प्रतिशत (2017-18 में 7,20,828 वाहनों से लेकर 2018-19 में 7,05,618 वाहन तक) की कमी के कारण थी।

1.1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उत्थित किए गए गैर-कर राजस्व के विवरण को तालिका-1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: उत्थित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 की वास्तविक वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1	ब्याज प्राप्तियां	350.52	82.53	81.39	396.25	113.46	-71.37
2	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	58.20	125.88	60.13	89.08	102.79	15.39
3	लोक निर्माण	14.74	18.47	22.23	14.34	17.75	23.78
4	पाँवर	16.38	42.06	21.40	26.25	53.15	102.48
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	98.91	89.43	111.33	99.88	132.06	32.22
6	अन्य गैर-कर प्राप्तियां	93.79	157.03	84.21	140.26	224.95	60.38
	कुल	632.54	515.40	380.69	766.06	644.16	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

² लाभान्श तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कृषि पालन, पशु पालन, मत्स्य, वन तथा वन्य जीवन, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई, ग्राम तथा लघु उद्योग, गैर-लौह - खनन उद्योग तथा धातु उद्योग, पर्यटन, नागरिक आपूर्ति, अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

विभिन्न गैर-कर राजस्व के वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट - 1.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3



रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-कर प्राप्तियों का विचलन 2014-15 से 2018-19 की अवधि में अधिक हुआ। 2017-18 में राजस्व उपलब्धियों की तुलना में 2018-19 में 15.91 प्रतिशत तक की गिरावट हुई। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य अंशदान “ब्याज प्राप्तियों” तथा ‘अन्य प्रशासनिक सेवाओं’ से था। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में ₹ 282.79 करोड़ (71.37 प्रतिशत) तक गिरावट आई जबकि अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 32.18 करोड़ (32.22 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ‘चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य’, ‘पॉवर’ तथा ‘लोक निर्माण कार्य’ शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 13.71 करोड़ (15.39 प्रतिशत) ₹ 26.90 करोड़ (102.48 प्रतिशत) तथा ₹ 3.41 करोड़ (23.78 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए:

ब्याज प्राप्तियां

2017-18 की तुलना में 2018-19 में ब्याज प्राप्तियों में कमी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी.टी.एल.) द्वारा 2017-18 में पिछली अवधि से संबंधित ऋणों पर ₹ 300 करोड़ के ब्याज के भुगतान के कारण हुई थी।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य में वृद्धि दिल्ली सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) के अधीन अंशदान के संशोधन के कारण हुई।

पावर

राजस्व में वृद्धि टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टी.पी.डी.डी.एल.) तथा डी.टी.एल. से वार्षिक लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य गैर-कर प्राप्तियों

मुख्य वृद्धि शहरी विकास के अधीन प्राप्तियों के कारण हुई। लाभांशो तथा लाभ तथा श्रम व रोजगार शीर्षो के अधीन प्राप्तियां कम हुई।

- (i) 2018-19 के दौरान शहरी विकास के अधीन प्राप्तियां पिछले वर्ष की ₹ 32.23 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में ₹ 132.08 करोड़ तक दर्ज की गई क्योंकि जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) के अधीन विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) शहरी विकास विभाग के डीयूडीए से वापिस प्रत्यावर्तित किए गए तथा राशि को रिफंड कर दिया गया।
- (ii) पिछले वर्ष ₹ 15.91 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान लांभाशो तथा लाभ के अधीन प्राप्तियां ₹ 14.31 करोड़ थी।
- (iii) पिछले वर्ष ₹ 20.79 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान श्रम तथा रोजगार के अधीन प्राप्तियां घट कर ₹ 10.52 करोड़ हो गई।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2019 तक राजस्व के बकायों की राशि राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षो के अधीन ₹ 36,226 करोड़ की थी जिसमें से पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया ₹ 4,030 करोड़ के थे जैसा कि तालिका-1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 तक बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि	टिप्पणियां
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	36,226	4,033	निवेदन के बावजूद बकायों के संचयन तथा उन्हें वसूल किए जाने के लिए विभाग ने कारण नहीं बताए।
2	राज्य उत्पाद	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	निवेदन के बावजूद राजस्व के बकायों के आंकड़ों को उत्पाद विभाग ने नहीं बताया।
कुल		36,226	4,033	

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग

व्यापार तथा कर विभाग (डीटीटी) से संबंधित ₹ 4033 करोड़ का बकाया पांच वर्ष से अधिक तक वसूल नहीं किया जा सका जो दर्शाता है कि विभाग ने इन बकायों की वसूली के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इसके अतिरिक्त, डीटीटी का बकाया 31 मार्च 2018 को ₹ 33,010.14 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹ 36,226.00 करोड़ तक हो गया।

राजस्व कर के बकायों का वर्ष दर वर्ष संचयन होता जा रहा है।

विभाग को समयबद्ध तरीके से कर के बकायों की वसूलियों के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए, जिससे वह समय बाधित न हो जाएं।

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग तथा मनोरंजन एवं विलासिता विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित इकाइयों/मामलों एवं निर्धारण हेतु लंबित होने वाली इकाइयों/मामलों और वर्ष के दौरान निपटान की गई इकाइयों/मामलों तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने हेतु लंबित इकाइयों/मामलों की संख्या का विवरण तालिका-1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: कर निर्धारण में लंबित

राजस्व शीर्ष	इकाइयों/मामलों के प्रारंभिक शेष	2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित इकाइयों/मामले	कुल निर्धारण बकाया	2018-19 के दौरान निपटान की गई इकाइयों/मामले	वर्ष की समप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4 तक)
1	2	3	4	5	6	7
विलासिता कर	2530	0	2530	1688	842	66.72
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0	4,13,135	4,13,135	4,13,135	0	100

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

कर निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता व्यापार एवं कर विभाग के संबंध में 100 प्रतिशत थी।

1.1.4 कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण

वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों एवं वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2018-19 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, को तालिका-1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.6: कर वापसी के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट/जीएसटी		उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	54,126	2,383.44	22	1.86	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये दावे	11,273	645.90	02	0.03	203	284.79
3	कुल दावे	65,399	3,029.34	24	1.89	203	284.79
4	वर्ष के दौरान की गई कर वापसियां	34,739	1,023.61	23	1.53	203	284.79
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	53.12	33.79	95.83	80.95	100	100
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	30,660	2,005.73	1	0.36	शून्य	शून्य

यदि अधिक प्राप्त राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली वैट अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान प्रदान करता है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियां न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, विभाग द्वारा वापसी पर ब्याज के भुगतान की जानकारी नहीं दी गई।

1.1.5 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (प्र.म.ले.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देन की नमूना जाँच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनुसरण होता है। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शाई गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2019 तक उनकी स्थिति **अनुलग्नक-1.1** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2009-10 में ₹ 3,093.36 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 4,481 (289 नि.प्र. में से) पैराग्राफ लंबित थे परन्तु 2018-19 के अंत में ₹ 7,346.42 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 9,595 (910 नि.प्र. में से) हो गई जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

जवाब न मिलने के कारण पैरों का अधिकता में लंबित होना इस बात का परिचायक है कि नि.प्र. में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए दोषों, चूक एवं अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों एवं विभाग के प्रमुखों ने कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्यकारी कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है एवं राजस्व के परिहार्य नुकसान के जोखिम को बढ़ाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार के ध्यान को आकर्षित करती है ताकि लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना एवं निपटान की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा की जा सके।

1.1.5.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

1.1.5.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18(1) के अनुसार कोई भी खाता, किताबें, कागजात एवं अन्य दस्तावेज जिनका लेन-देन या प्रपत्र के आधार पर निपटान होता है या अन्यथा लेन-देन के लिए प्रासंगिक होते हैं जिनके लिए लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार होता है, ऐसे स्थान पर भेजे जाएं जहाँ वे अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त हो सकें। कर राजस्व कार्यालय के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक माह पूर्व विभागों को सूचनाएँ जारी कर दी जाती है जिससे वे लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखने में सक्षम हो सकें।

व्यापारियों के प्राथमिक अभिलेख विभाग की डी-वैट प्रणाली में उपलब्ध थे, हालांकि, कुछ मामलों में इन अभिलेखों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। गहन जाँच के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 4021 व्यापारियों के प्रत्यक्ष अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई लेकिन विभाग

ने केवल 1,454 (36 प्रतिशत) व्यापारियों के अभिलेख प्रदान किए, जो कि डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18(1) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की गई नियंत्रक महालेखापरीक्षक की शक्तियों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राजस्व एवं परिवहन विभाग ने मांगे गये 100 प्रतिशत अभिलेख उपलब्ध कराये।

1.1.5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-संक्षिप्त स्थिति

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में जारी किये गए मामलों पर कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गए सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरुआत करनी चाहिए, बिना इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को दिल्ली विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से लेकर चार महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत जांच के बाद पी.ए.सी. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हालांकि, प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में हुई देरी के संदर्भ में 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 21 पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) को राज्य विधान सभा के समक्ष मई 2015 से दिसम्बर 2019 के बीच प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में ए.टी.एन छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 18 पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) से संबंधित ए.टी.एन विभाग से प्राप्त नहीं हुए जैसा कि तालिका-1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.7: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा ए.टी.एन. का विवरण

क्रम. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में मुद्रित पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2014	3+0 (पीए)	2+0 (पीए)
2.	2015	0+1 (पीए)	0+1 (पीए)
3.	2016	4+0 (पीए)	3+0 (पीए)
4.	2017	7+0 (पीए)	6+0 (पीए)
5.	2018	7+0 (पीए)	7+0 (पीए)
कुल		21+1 (पीए)	18+1(पीए)

लोक लेखा समिति ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों/पी.ए. पर चर्चा नहीं की।

1.1.6 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत किए गए पैराग्राफों तथा वसूल की गई धनराशि को **अनुलग्नक-1.2** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लिए प्रतिवेदनों में ₹ 9,054.81 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल थी, जिसमें से ₹ 732.28 करोड़ की धनराशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, केवल ₹ 1.85 करोड़ (0.25 प्रतिशत) की धन राशि विभाग द्वारा वसूल की गई जो कि नगण्य थी। यह भी देखा गया कि 2018-19 में वसूली शून्य थी। वसूली की गई कम धनराशि में विभाग के लापरवाह दृष्टिकोण और खराब निगरानी को दर्शाया गया है।

विभाग उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकता है जो स्वीकृत मामलों में वसूली करने में विफल रहे हैं।

1.1.7 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पिछली प्रवृत्तियों तथा अन्य परिमाणों के अनुसार, उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारकों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 166 इकाईयाँ थी, जिनमें से 60 इकाईयाँ की योजना बनाकर लेखापरीक्षा की गयी थी।

1.1.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.8.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षाओं की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान 166³ लेखापरीक्षित इकाइयों में से ₹ 12,214.73 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियों⁴ वाली 60⁵ इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। अभिलेखों की नमूना जाँच में 394 पैराग्राफों में शामिल ₹ 521.61 करोड़ का अवनिर्धारण

³ वैंट-126, स्टॉम्प एवं पंजीकरण-22, एमवीटी-17, उत्पाद शुल्क-01

⁴ लेखापरीक्षित अवधि की कर प्राप्तियों की धनराशि को शामिल किया गया है।

⁵ वैंट-42, एमवीटी-07, स्टॉम्प एवं पंजीकरण-11

कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को पाया गया जिसे तालिका-1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.8: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्रम. सं.	श्रेणियाँ	पैरा/मामलों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्य वर्जित कर			
1	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	9	5.71
2	स्थानीय व्यापारियों को अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा	1	5.42
3	ब्याज की गैर-वसूली	2	3.10
4	माँग की गैर-वसूली तथा परिणाम स्वरूप ब्याज की हानि	3	87.15
5	कर का कम उद्ग्रहण	1	7.52
6	अन्य अनियमितताएँ	211	379.73
कुल		227	488.63
मोटर वाहन कर			
1	अन्य अनियमितताएँ	42	0.00
कुल		42	0.00
स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क			
1	स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का गैर उद्ग्रहण	1	25.68
2	स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1	3.19
3	अन्य अनियमितताएँ	123	4.11
कुल		125	32.98
कुल योग		394	521.61

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 521.61 करोड़ के कर/शुल्क का कम/गैर-उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया, उनमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 96.32 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

1.1.9 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र के इस अध्याय में सात पैराग्राफ हैं जिसमें ₹ 137.77 करोड़ के वित्तीय प्रभाव शामिल है। सरकार ने ₹ 96.32 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं। इनकी चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

1.2 पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का गैर-उद्ग्रहण

2014-15 से 2018-19 के दौरान 118 अनुबंध निष्पादित किए गए, उद्ग्रहणीय स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (16) के अनुसार पट्टे का अर्थ है किसी अचल सम्पत्ति का पट्टा और इसमें कोई (ए) पट्टा (बी) काबुलियत या लिखित रूप में कोई अन्य वचन भी शामिल होता है, जो अचल सम्पत्ति को विकसित करने, कब्जा करने या भुगतान करने अथवा किराये पर देने के लिए किसी पट्टे का प्रतिरूप न हो, (सी) कोई दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के टोल किराये पर दिये जाते हैं, (डी) किसी पट्टे के लिए किसी आवेदन पर कोई लिखित का आशय यह महत्व देने का है कि आवेदन स्वीकृत है। इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1ए की मद 35 के अनुसार, अचल सम्पत्ति को पट्टे पर या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई भी दस्तावेज अथवा किराये पर या किराये पर लिए हुए को किराए पर देने के लिए कोई करार स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रभार्य है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (डी) यह भी उपबन्ध करती है कि वर्ष-दर-वर्ष अचल सम्पत्ति का पट्टा या एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए या आरक्षित वार्षिक किराये पर लेने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी आरक्षित किराये की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए निर्धारित दरों पर और पट्टे की अवधि⁶ के आधार पर प्रभार्य है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 01 के पैरा संख्या 2.6.6.1 का सन्दर्भ वर्णित किया जाता है, जिसमें दिल्ली के तीन⁷ नगर निगमों, (एमसीडी) द्वारा पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण पर टिप्पणी की गयी थी। इस

⁶ किसी समर्पण के पट्टे किराए करार नामे के पंजीकरण की दरें हैं।

- 5 वर्ष तक -औसत वार्षिक किराये का 2%
- 10 वर्ष तक - औसत वार्षिक किराये का 3%
- 20 वर्ष तक - औसत वार्षिक किराये का 6%
- 30 वर्ष तक औसत वार्षिक किराये का 9%

⁷ पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी)

अभ्युक्ति के जवाब में, विभाग ने जवाब दिया था (मार्च 2014) कि तीनों दिल्ली नगर निगमों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत करने के लिए ऐसे दस्तावेजों पर पट्टा विलेखों/अनुबंधों को करते समय अपेक्षित स्टाम्प ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

तीनों एमसीएसडी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल से जुलाई 2019 के बीच) कि वे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियमित आने जाने वालों के लिए पार्किंग स्थलों, यूनिपोल्स, बैंक्वेट हॉल, और 'टोल वसूलने का अधिकार' के करार करने के लिए निजी उद्यमियों के साथ अनुबंधों को निष्पादित कर रहे थे। ऐसे अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहणीय थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित 118 अनुबंधों को देखा जहाँ स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहणीय था लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का विरोध किये बिना कहा (नवम्बर 2020) कि पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण पर लेखापरीक्षा अवलोकन तीनों दिल्ली नगर निगमों को सूचित कर दिया गया है और प्रासंगिक कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है तथा उनसे निजी कम्पनियों/उद्यमियों और उनके बीच निष्पादित दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

विभाग को सभी निष्पादित अनुबंधों का समय समय पर विवरण प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय राजस्व वसूल हुआ, एक औपचारिक प्रक्रिया पर योजना बनाने की आवश्यकता है।

1.3 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सम्पत्तियों के गलत वर्गीकरण तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने 18 जुलाई 2007 की अधिसूचना द्वारा भूमि और भवनों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों ('ए' से 'एच')⁸ के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रीय दरों की शुरुआत की थी।

⁸ 'ए' श्रेणी के लिए उच्चतम सर्कल दर और 'एच' श्रेणी के लिए सबसे कम क्षेत्रीय दर

न्यूनतम क्षेत्रीय दरों को अंतिम बार 22 सितम्बर 2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 उपबंध करती है कि इयूटी के साथ किसी दस्तावेज की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ तथा सभी अन्य तथ्य तथा प्रतिफल (यदि कोई है) या इयूटी की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वह पूरी तरह और सही अर्थों में निर्धारित की जाए। जहाँ तथ्यों और इयूटी की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के अभाव में स्टाम्प इयूटी की कमी निर्धारण योग्य नहीं है और दस्तावेज अधिनियम की धारा 27 के उल्लंघन में निष्पादित किया गया है, पंजीकरण अधिकारियों को ऐसे मामलों को स्टाम्प कलेक्टर को संदर्भित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 64 के तहत अभियोजन के लिए सशक्त बनाया जाता है।

अभिलेखों की जाँच में स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण के निम्न मामले प्रकाश में आए हैं:

ए. संपत्तियों का गलत वर्गीकरण

स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क को प्रभारित करने के लिए, संपत्ति का न्यूनतम मूल्य संपत्ति के क्षेत्रफल के साथ न्यूनतम क्षेत्रीय दरों, इलाके की श्रेणी के अनुसार गुणा करके निकालना होता है। इसके अलावा, आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूमि की लागत की गणना के लिए क्रमशः “एक और तीन” के गुणक कारक का प्रयोग किया जाता है।

पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल तथा जुलाई 2019 के बीच) कि दो उप-पंजीयक⁹ कार्यालयों में छः मामले (अनुलग्नक-1.3) जिनमें भूमि एवं भवन को शामिल करते हुए सम्पत्तियाँ “वाणिज्यिक” थीं लेकिन उन पर स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क “आवासीय” सम्पत्तियों पर लागू दरों से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने इन छः मामलों (सम्पत्तियाँ) में से दो का सत्यापन किया और पाया कि ये दो सम्पत्तियाँ सम्बन्धित एमसीडी के अभिलेखों में वाणिज्यिक के रूप में वर्गीकृत (प्रारम्भ से) की गई थी।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामलों को सुधारात्मक उपायों जैसे परिवर्धन, शुल्क की वसूली, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन आदि को करने के लिए निर्देशन के साथ सम्बन्धित उप-पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प/पंजीयक को भेजे गये हैं।

⁹ आसफ अली रोड और बसई दारापुर

बी. संपत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना

सितम्बर 2014 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी किसी संपत्ति के पंजीकरण के समय प्रभार्य होती है। दिल्ली स्टाम्प (दस्तावेज के अधोमूल्यन की रोकथाम) नियमावली 2007, के नियम 5(1) के अनुसार कोई पक्ष अचल संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते समय दस्तावेज के साथ “फॉर्म ए” में प्रतिलिपि में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

नौ उप-पंजीयक¹⁰ कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 82 मामले (अनुलग्नक-1.4) पाये (अप्रैल तथा जुलाई 2019 के बीच) जिनमें स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना गलत प्रतिफल राशि के आधार पर विभिन्न कारणों की वजह से की गयी थी, जैसे कि दस्तावेज में और फॉर्म ए में बताये गये क्षेत्र में भिन्नता, गलत गणना, क्षेत्रफल की गलत श्रेणी, भूमि मूल्य की गणना में त्रुटि आदि। इसके परिणामस्वरूप ₹ 80.41 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामलों को सुधारात्मक उपायों जैसे परिवर्धन, शुल्क की वसूली, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन आदि को करने के लिए निर्देशन के साथ सम्बन्धित उप-पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प/पंजीयक को भेजे गये हैं।

व्यापार एवं कर विभाग

1.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारितियों को ₹ 2.56 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) अनुमत्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 9(2)(जी) यह निर्धारित करता है कि एक व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को तब तक कोई कर क्रेडिट अनुमत्य नहीं होगा, जब तक कि विक्रेता व्यापारी द्वारा सरकार को क्रेता व्यापारी द्वारा वास्तविक रूप में भुगतान किए गये कर को जमा

¹⁰ आसफ अली रोड़, बसई दारापुर, कालकाजी, लाजपत नगर, पीतमपुरा, रोहिणी, सरोजिनी नगर, सीलमपुर तथा विवेक विहार,

नहीं किया गया हो अथवा आउटपुट कर देयता के प्रति कानूनी रूप में समायोजन किया गया हो तथा संबंधित कर अवधि के लिए फाइल की गई रिटर्न में उचित रूप से दर्शाया गया हो। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसका विवरण सामग्री असत्य, भ्रामक या कपटपूर्ण है वह ₹ 10 हजार की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी राशि के भुगतान करने में किसी चूक के लिए वैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

नौ वार्डों¹¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य) दर्शाती हैं कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 34 निर्धारितियों ने अपनी त्रैमासिक रिटर्न को क्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 ए) सहित फाइल किया। व्यापार एवं कर विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए उपलब्ध इन निर्धारितियों की क्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 ए) के अनुसार निर्धारितियों ने ₹ 63.40 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 2.56 करोड़ के आई.टी.सी का दावा किया। हालांकि विक्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 बी) से प्रति- सत्यापन पर, यह पाया गया कि विक्रय व्यापारियों ने संबन्धित कर अवधि के लिए निर्धारितियों को केवल ₹ 3.98 करोड़ का विक्रय ही दर्शाया था। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारितियों द्वारा अनुलग्नक 2 ए में अनियमित स्थानीय क्रय को दर्शाया गया था तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा किया गया था।

इस प्रकार, 19 अगस्त 2015 तथा 23 सितम्बर 2016 के मध्य निर्धारण के दौरान विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरणों को सत्यापित करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2020) कि सभी निर्धारितियों का 23 जुलाई 2018 तथा 7 जुलाई 2020 के मध्य पुनर्निर्धारण कर दिया है और ₹ 4.25 करोड़ की ब्याज और जुर्माने सहित अतिरिक्त मांग की गई है। आगे, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

¹¹ वार्ड सं-44, 52,58,61,62,63,84,91 एवं 97

1.5 स्थानीय व्यापारियों का अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा

निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की रियायती दर के लिए निर्धारितियों की पात्रता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का कर कम उद्ग्रहित हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ का ब्याज और ₹ 1.91 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, एक पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर जो राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत उपयुक्त राज्य के अंदर इस तरह के माल की बिक्री या खरीद पर लागू होता है या उसकी कुल बिक्री का दो प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अन्यथा, व्यापारी राज्य के अंतर्राज्यीय व्यापार पर सीएसटी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत लागू कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जो किसी सामग्री विशेष में गलत, भ्रामक या कपटपूर्ण है, तो वह जुर्माना के रूप में, 10 हजार रुपये या कर की कम राशि जो भी अधिक हो, का जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के तहत किसी राशि का भुगतान करने में किसी भी चूक के लिए ब्याज भी देय होगा।

वर्ष 2017-18 में वार्ड 202 में निर्धारित मामलों की संवीक्षा (अप्रैल 2018 तथा मई 2018 के मध्य) के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक निर्धारित¹² के ऑनलाइन बिक्री सारांश (डी वैट 31)/अनुलग्नक 2 बी में ₹ 18.23 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री दर्शायी गयी है, जिसके लिए 2 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया गया। हालांकि डी.टी.टी. के विभागीय पोर्टल में उपलब्ध ऑनलाइन डेटा से पता चला कि वास्तव में ₹ 18.23 करोड़ की बिक्री केवल दो स्थानीय व्यापारियों के साथ की गई थी, जिस पर 12.5 प्रतिशत का सामान्य कर लागू था।

इस प्रकार रियायत दर के लिए निर्धारितियों की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्र.) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़¹³

¹² टिन सं. 07270393028

¹³ ₹ 18.23 करोड़ की बिक्री पर 10.5 प्रतिशत (12.5 प्रतिशत-2 प्रतिशत) की दर से गणना

के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ के ब्याज¹⁴ और ₹ 1.91 करोड़ की जुर्माना राशि भी उद्ग्रहणीय थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2019) कि मामले का पुनर्निर्धारण किया जा चुका है तथा ब्याज सहित ₹ 3.40 करोड़ की एक अतिरिक्त माँग उद्धृत की। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

1.6 ब्याज का गैर-उद्ग्रहण

अतिरिक्त माँग पर ब्याज लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के ब्याज का गैर-उद्ग्रहण

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 42(2) निर्धारित करती है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय किसी कर, जुर्माने या अन्य राशि का भुगतान करने में असफल होता है, तो वह निर्धारित राशि के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वार्षिक दर पर, जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी, ऐसी राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान, ऐसे चूक की तिथि से, जब तक कि वह इस राशि का भुगतान करने में चूक करना जारी रखता है, तब तक करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 15 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर अधिसूचित की गई।

वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए दो वार्डों¹⁵ के अभिलेखों (सितम्बर 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य) की संवीक्षा से पता चला कि दिसंबर 2016 और फरवरी 2018 के मध्य पांच निर्धारितियों¹⁶ का निर्धारण पूरा हो गया था। निर्धारण आदेशों से पता चला कि निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्र.) ने मामलों का निर्धारण करते समय (i) चार मामलों में ₹ 4.21 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) और (ii) एक मामले में अन्तर्राज्यीय विक्रय के स्थान पर बिना चालान जारी किये स्थानीय बिक्री के कारण ₹ 0.16 करोड़ की राशि अनुमत नहीं की तथा उसको उत्क्रमित करके ₹ 4.37 करोड़ के अतिरिक्त कर की माँग की। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्र. ₹ 4.37 करोड़ की अतिरिक्त माँग पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक की तारीख से, अर्थात् 22 अक्टूबर 2013 से 31 मई 2019 के बीच की अवधि का ₹ 3.10 करोड़ का ब्याज का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

¹⁴ ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से, कर कैलेंडर माह जो कि 31 मई 2019 तक की तिमाही के अगले महीने की 22 तारीख है के तुरंत अगले दिन से।

¹⁵ वार्ड सं 63 तथा वार्ड 83

¹⁶ टीन सं. 07946918577, 07120134169, 07250360835, 07940197447 और 07960390466

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई/अगस्त 2020) कि पाँच निर्धारितियों का नया मूल्यांकन किया गया तथा कर पर ₹ 1.46 करोड़¹⁷ के ब्याज का उदग्रहण किया गया। हालांकि निर्धारिती द्वारा माँग का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए रिट ऑफ डिमाण्ड जारी किया गया। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

1.7 कर, ब्याज तथा जुर्माने की मांग की गैर वसूली

विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 87.15 करोड़ की मांग वसूलने में विफल रहा जिनके पंजीकरण रद्द कर दिये गये थे।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) तथा 33(2) प्रावधान करती है कि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश में निर्धारित किये गए अतिरिक्त कर और जुर्माने की राशि निर्धारित तिथि के अंदर देय तथा भुगतान योग्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की कोई राशि, ब्याज अथवा जुर्माना, संयोजन राशि अथवा अन्य देय राशि, जिसका देय तिथि के बाद भी भुगतान शेष है, डीवैट अधिनियम 43 के अंतर्गत वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त डीवैट अधिनियम की धारा 22(9) यह निर्धारित करती है कि पंजीकरण का रद्दीकरण किसी व्यक्ति के किसी अवधि के लिए देय कर, जो रद्दीकरण की तिथि तक बकाया था या उसके बाद मूल्यांकन द्वारा निर्धारित कर, दोनों की देयता को प्रभावित नहीं करेगा, बावजूद इसके कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए अन्यथा उत्तरदायी नहीं है। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी भी राशि के भुगतान करने में चूक के लिए ब्याज भी उदग्रहणीय होगा।

तीन वार्डों¹⁸ के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की जांच से पता चला कि (जुलाई 2018 तथा 2019 के मध्य) डीवैट अधिनियम की धारा 32 तथा 33 के अंतर्गत अगस्त 2015 और जुलाई 2018 के बीच ₹ 75.09 करोड़ (कर ₹ 39.77 करोड़, ब्याज ₹ 11.99 करोड़ और जुर्माना ₹ 23.33 करोड़) की अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए 14 निर्धारितियों¹⁹ का निर्धारण किया गया, यद्यपि विभाग द्वारा फरवरी 2014 तथा सितम्बर 2016 के बीच उनके

¹⁷ दो निर्धारितियों के मामले में), टिन संख्या ने चूक की तिथि से निर्धारण आदेश की तिथि तक प्रा.नि 07120134169 तथा 07946918577 ब्याज का उदग्रहण नहीं किया था तथा इस प्रकार से कम ब्याज का उदग्रहण हुआ।

¹⁸ वार्ड सं. 25, 52 और 63

¹⁹ टिन संख्या 07586920327, 07246920320, 07486920285, 07416920275, 07766920325, 07396920286, 07656920822, 07056920279, 07146920278, 07860185269, 07376950270, 07096919384, 07946918577, और 076869113482

पंजीकरण पहले ही रद्द किये जा चुके थे। निर्धारितियों को निर्धारण में निर्धारित समय सीमा के अंदर, माँग जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के अंदर, माँग न जमा किए जाने वाले मामलों में, विभाग को डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कर, ब्याज और जुर्माने की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के द्वारा निर्धारितियों के खिलाफ माँग की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.15 करोड़ (कर- ₹ 39.77 करोड़, ब्याज²⁰ - ₹ 24.05 करोड़ और जुर्माना - ₹ 23.33 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर सरकार ने निर्धारण आदेशों के जारी करने की तारीख से 27 महीनों से 50 महीनों के बीत जाने के बाद वसूली प्रमाण-पत्र/डिमांड रिट जारी किये (मई 2019 तथा सितंबर 2020 के मध्य)। हालांकि ₹ 87.15 करोड़ की माँग अभी तक वसूल नहीं की गई है (जनवरी 2021)।

1.8 कर का कम उदग्रहण

निर्धारिती द्वारा निर्माण सामग्री के संबंध में ₹ 29.94 करोड़ की कम बिक्री दर्शायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का कर कम उदग्रहीत हुआ। इसके अलावा, ₹ 2.08 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.72 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 4 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, वस्तुओं से संबंधित निर्धारिती की कुल बिक्री पर लागू दर पर कर का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जिसका विवरण सामग्री गलत, भ्रामक या कपटपूर्ण है, जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये या कर घाटे की राशि, जो भी अधिक हो, के भुगतान का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत किसी भी राशि के भुगतान में चूक होने पर ब्याज भी देय होगा।

वार्ड-110 के अभिलेखों की जांच में पाया गया है (मार्च 2019) कि एक निर्धारिती²¹ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अपना तिमाही रिटर्न फाईल

²⁰ 31 मई 2019 तक ब्याज की गणना की गई।

²¹ टीन सं. 07180476546

किया तथा ₹ 63.38 करोड़ (पूँजीगत माल के अतिरिक्त) के माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का दावा किया। चूँकि निर्धारिती ने ₹ 63.38 करोड़ के क्रय माल पर आई टी सी का दावा किया था, निर्माण सामग्री अर्थात् माल जो कि निर्माण संविदा के निष्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया, का न्यूनतम²² क्रय मूल्य ₹ 63.38 करोड़ था। इस वर्ष के लिए निर्धारिती का निर्धारण नवम्बर 2016 में किया गया। निर्धारिती द्वारा 31 मार्च 2013 को निर्माण सामग्री का अन्तिम स्टॉक 'शून्य' और इसके तुलन-पत्र में 31 मार्च 2014 को अन्तिम स्टॉक ₹ 13.68 करोड़ दिखाया था। अतः वर्ष के दौरान उपभोग की गयी निर्माण सामग्री ₹ 49.70 करोड़ (प्रारम्भिक स्टॉक: ₹ शून्य + खरीद: ₹ 63.38 करोड़ - अन्तिम स्टॉक: ₹ 13.68 करोड़) निकाली गई। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बिक्री ₹ 19.76 करोड़ (श्रम घटक को छोड़कर) दर्शायी थी। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा वर्ष 2013-14 के अपने तिमाही रिटर्न में ₹ 29.94 करोड़ (₹ 49.70 करोड़ - ₹ 19.76 करोड़) की निर्माण सामग्री के तदनु रूप कम बिक्री दर्शाई गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़²³ का कर कम उदग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.08 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.72 करोड़²³ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि मामला आगे निर्धारिती के समक्ष बढ़ाया गया था जिसमें उसने बताया कि लेखापरीक्षा ने श्रम संघटकों तथा उपभोक्ताओं के स्टॉक पर विचार नहीं किया। आगे यह बताया गया है कि इस मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने निर्माण संविदा सारांश, डी वैंट फॉर्म 30 तथा 31, व्यापार लेखा इत्यादि पर विचार करते हुए डी वैंट अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत निर्धारण किया था तथा उसके अनुसार कर तथा ब्याज की ₹ 6.22 लाख की माँग उद्धृत की गई थी। हालांकि जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोग्य निर्माण सामग्री की गणना करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा श्रम संघटकों, स्टोर के स्टॉक तथा उपभोग्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था।

²² चूँकि लेखापरीक्षा ने अंतर्राज्यीय क्रय (पूँजीगत माल के अलावा) का संबंध विच्छेद नहीं किया है, इसलिए लेखापरीक्षा ने निर्माण सामग्री के क्रय के रूप में अंतर्राज्यीय क्रय के किसी भाग पर विचार नहीं किया है। हालांकि ऐसी संभावना है कि निर्धारितियों ने निर्माण सामग्री का अंतर्राज्यीय क्रय किया होगा।

²³ निर्धारिती द्वारा कर देयता की जो परिगणना 5 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की दर से की गई थी को ध्यान में रखने हुए ₹ 13.69 करोड़ पर 5 प्रतिशत तथा ₹ 16.25 करोड़ पर 12.5 प्रतिशत कर की कम उगाही को परिकल्पित किया गया।